Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JAIPUR-V

Fee Receipt

Appendix Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 24-08-2017 4:47 PM

Fee Receipt No	:	201702019006927	Receipt Date	: 23/08/2017
Name	:	BHANU PRATAM SINGH RATROD ,	Document S. No.	: 201701019007114
Address	:	14-15 ,BHANKROTA AJMER ROAD ,JAIPUR ,JAIPUR		
Document Type	:	Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	:	₹ 1247643	Evaluated Value	: ₹ 0

Orc-Registration Fee	:	₹ 12480	Fee for Memorandum Us. 64, 67	:	₹
CSI	:	₹ 300	Certified copying fees Us 57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)		₹
Surcharge	:	₹ 12480	Stamp Duty		₹ 62400
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee		₹ 0
Us 25, 34	:	₹ 0	Commission		₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received		₹ 0
			Other than Cash		₹ 87660
			Total Amount		₹ 87660

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

eStamp IN-RJ13579120619448P ₹ 74880 # e Registration Receipt RJ1323391708387 ₹ 12480

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Signature of recipient
and date of return receipt

उप-पंजीयक, जयपुर (पंचम) (राज.) पंजीयन विभाग
SUB-REGISTRAR, JAIPUR-V

SUB-REGISTRAR

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Rajasthan

e-Stamp

Base Certificate No.	:	IN-RJ13579120619448P
Rectified Certificate No.	:	**IN-RJ13581448864002P**
Certificate Issued Date	:	10-Aug-2017 02:05 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ rj3045204/ JAIPUR/ RJ-JP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-RJRJ304520420658405327878P
Purchased by	:	SKG B3B LLP
Description of Document	:	Article 33(vii) Lease deed exceeding 30 year and perpetual
Property Description	:	622,631 GRAM NARSINGHPURA URF RIKSHA SANGANER JAIPUR
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Second Party	:	SKG B3B LLP
Stamp Duty Paid By	:	SKG B3B LLP
Stamp Duty Payable	:	62,400 (Sixty Two Thousand Four Hundred only)
Surcharge for Infrastructure Development	:	6,240 (Six Thousand Two Hundred And Forty only)
Surcharge for Propagation and Conservation of Cow	:	6,240 (Six Thousand Two Hundred And Forty only)
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	74,880 (Seventy Four Thousand Eight Hundred And Eighty only)

गृह निर्माण सहकारी समिति
योजना में भूखण्ड संख्या 622 & 631 5154.069 मी॰
[illegible] की लीजडीड
हेतु 62400+[illegible] रुपये स्टाम्प [illegible] है।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

UP 0001358156

सब रजिस्ट्रार, जयपुर
पंचम

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Warning

"The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at www.shcilestamp.com or at any Authorised collection center address displayed at www.shcilestamp.com free of cost."

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence"

"This document contains security features like coloured background with Lacey Geometric Flexible patterns and Subtle Logo images, Complex ornamental design borders, Anti - copy text, the appearance of micro printing, artificial watermarks and other Overt and Covert features."

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

P 708999

17 JUL 2017

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत स्टाम्प राशि पर प्रभारित अधिभार
1. आधारभूत अवसंरचना ... 5
... आय और ... के संरक्षण और संवर्धन हेतु ... 5
कुल योग 10
हस्ताक्षर स्टाम्प वेण्डर

उपायुक्त जोन-9 जयपुर विकास प्राधिकरण

निजी खातेदारी ग्राम हरिसिंहपुरा उर्फ रितवा गृह निर्माण सहकारी समिति

तह. सांगानेर योजना में भूखण्ड संख्या

खसरा नं. 622 631 क्षेत्रफल 5154.06 व.मी. वर्गगज को लीजडीड

हेतु 62400/- रुपये स्टाम्प संलग्न है।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सब रजिस्ट्रार, जयपुर
पंचम

रजि. नं 3911 दिनांक 10/8/17
मुद्रांक मूल्य 50)
नाम
पिता का नाम
निवासी
मुद्रांक खरीदने का आधार तथा सम्बन्धित
कार्य का मूल्यांकन

प्रेम प्रकाश
स्टाम्प विक्रेता
लाईसेन्स नं. 31/2015-16
मानसरोवर, जयपुर

क्रेता का नाम एवम् हस्ताक्षर

उप-पंजीयक, जयपुर (पंचम) (राज.)
पंजीयन विभाग
सत्यमेव जयते
SUB-REGISTRAR, JAIPUR-V

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

श्रीमती वसुंधरा राजे,
माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार

992

यह विलेख आज वर्ष 10/8/17 के माह.................... के.................... वे दिन *जयपुर विकास प्राधिकरण/.................... (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष श्री S K G B3B LLP अधि अधिकृत श्री भानुप्रताप सिंह राठौड़ पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह राठौड़ एवम् श्री सतीश सिसोदिया पुत्र श्री भंवर लाल व्यवसाय व्यापार निवासी 14-15 श्याम प्लाजा मैन अजमेर रोड गां. करोल जयपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) एवं द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तो और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय उनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह जमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना (निजी खातेदारी) .... राजस्व ग्राम नरसिंहपुरा उर्फ रिक्ता के खसरा/भूखण्ड संख्या 622 & 631 क्षेत्रफल 5454.86 व.मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तें और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थातः–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये — अंके — मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय नगरीय निर्धारक (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. पट्टेदार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय में या राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत अन्य स्थान पर नियमन दर नि:शुल्क रुपये प्रति वर्गगज से कुल नियमन राशि — रुपये देय होती है जो चालान नं. — दिनांक — से जमा है। इसका 2.5 प्रतिशत की दर से शहरी जमाबन्दी देय है। आदेश क्रमांक : एफ–9(15) यू.डी./3/2001 दिनांक 15.1.2002 से 8 वर्षीय लीज राशि 996760/- रुपये होती है, जो चालान नं. 554574 दिनांक 10.8.17 से जमा है।
3. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी। मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3-A के अन्तर्गत एकल पट्टा
4. पट्टे की अवधि :– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।
5. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल एकल पट्टा प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाऐगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
6. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
7. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक आदेश द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
8. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी : परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
9. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या बाह्य, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
10. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।
11. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/ एच.डी.एफ.सी अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।
12. योजना में आन्तरिक जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति एवं आन्तरिक सड़क निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय विकासकर्ता/गृहनिर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।

* जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

(कृ.प.उ.)

उप पंजीयक, जयपुर (पंचम)

सब रजिस्ट्रार, जयपुर पंचम

परिशिष्ट

कस्बे का नामः ग्रेटर जयपुर (handwritten, partly illegible)
राजस्व ग्रामः [illegible]
खसरा नम्बरः 622 & 631
योजना का नामः
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्ग गज/मीटर 5154.06 व.मी.

पूर्व........ पश्चिम........ भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो........ सीमा उत्तर........ दक्षिण........ मानचित्र संलग्न है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3-A के सभी नियम मान्य होंगे।

नोटः-इस भूखण्ड की शहरी जमाबन्दी को जोडकर पंजीकृत मूल्य राशि रु. 1247643/- होती है। अतएव स्टाम्प राशि रु. 62400+50 के नं. 3911 के कुल संख्या 2 बहैसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते है।

IN-RJ13579120619448P
एवं IN-RJ13581448864002V

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।

जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से आज सन् 2017 के माह Apr के 10 वें दिन श्री मधुसूदन पालीवाल R.A.S. ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये-	जयपुर विकास प्राधिकरण-प्रथम पक्ष (सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

साक्षी :-

1. नाम चन्द्र शेखर पाहर पुत्र श्री स्व. रामजी लाल पाहर व्यवसाय सहायक ज. वि. प्रा. सेवा जयपुर निवास स्थान	साक्षी
2. नाम हमीद मोहम्मद पुत्र श्री नूर मोहम्मद व्यवसाय स. नि. सहायक जयपुर निवास स्थान	साक्षी

उप-पंजीयक, जयपुर (प्रथम) (राज.) SUB-REGISTRAR, JAIPUR-I

आज सन् 20........ के माह .... के........ वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री........ लीजधारक द्वारा कार्यालय........ में हस्ताक्षर किये गये।	SKG B3B LLP Designated Partner SKG B3B LLP Designated Partner लीजधारक-द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम रोहित जैन पुत्र राजेन्द्र जैन व्यवसाय निवास स्थान निर्माण नगर जयपुर	साक्षी
2. नाम जयवीर सिंह राठौड़ पुत्र राजकुमार सिंह राठौड़ व्यवसाय निवास स्थान [illegible]	साक्षी

Presentation Endorsement

आज दिनांक 23 माह 08 सन् 2017 को 03:12 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री BHANU PRATAM SINGH RATROD पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री BHUPENDRA SINGH RATHROD
उम्र 34 वर्ष, जाति RAJPUT , व्यवसाय Business
निवासी House No.:14-15, Colony: BHANKROTA AJMER ROAD, Area: SHYAM PALAZA, City: JAIPUR, Pin code: 302006, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
201701019007114

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JAIPUR-V

Lease/Sale deed, allotment by local bodies, presented within 2 months (Male)

सब रजिस्ट्रार, जयपुर
पंचम

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201702019006927
दिनांक	23-08-2017
पंजीयन शुल्क ₹	12480
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	62400
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	12480
कुल योग	87660

201701019007114

उप पंजीयक, JAIPUR-V

Lease/Sale deed, allotment by local bodies, presented within 2 months (Male)

सब रजिस्ट्रार, जयपुर
पंचम

उप-पंजीयक, जयपुर (पंचम) (राज.) • SUB-REGISTRAR, JAIPUR-V
पंजीयन विभाग
सत्यमेव जयते

Endorsement of Execution

अनु क्र. पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1 श्री/श्रीमती/सुश्री BHANU PRATAM SINGH RATROD , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री BHUPENDRA SINGH RATHROD , व्यवसाय Businessजाति RAJPUT House No.:14-15, Colony: BHANKROTA AJMER ROAD, Area: SHYAM PALAZA, City: JAIPUR, Pin code: 302006, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Presenter Age : 34 Signature :
2 श्री/श्रीमती/सुश्री SATISH SINGODIYA , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SUWA LAL , व्यवसाय Businessजाति RAJPUT House No.:14-15, Colony: BHANKROTA AJMER ROAD, Area: SHYAM PALAZA, City: JAIPUR, Pin code: 302006, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 49 Signature :

ने लेख्यपत्र Lease/Sale deed, allotment by local bodies, presented within 2 months (Male) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 1247643/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 1247643/- पूर्व में -------------- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र. गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री MONU GUPTA, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री H S GUPTA जाति MAHAJAN Age: 29 Add: House No.:0, Colony: KUTEDA MODE, Area: BASSI, City: JAIPUR, Pin code: 303301, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature

उप पंजीयक, JAIPUR-V

सब रजिस्ट्रार, जयपुर पंचम

201701019007114

Lease/Sale deed, allotment by local bodies, presented within 2 months (Male)

उप-पंजीयक, जयपुर (पंचम) (राज.) पंजीयन विभाग सत्यमेव जयते SUB-REGISTRAR, JAIPUR-V

Registration Endorsement

आज दिनांक 24/08/2017 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 971 में
पृष्ठ संख्या 133 क्रम संख्या 201703019105405 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3883 के
पृष्ठ संख्या 186 से 200 पर चस्पा किया गया।

201701019007114

उप पंजीयक, JAIPUR-V

उप-पंजीयक, जयपुर पंचम

Lease/Sale deed, allotment by local bodies, presented within 2 months (Male)

उप-पंजीयक, जयपुर (पंचम) (राज.) पंजीयन विभाग सत्यमेव जयते SUB-REGISTRAR, JAIPUR-V

SITE PLAN OF RESIDENTIAL FLAT KHASRA NO. - 622 & 631 UNDER PROVISION 3A OF CHIEF MINISTER'S JAN AWAAS YOJNA 2015 AT VILLAGE-NARSINGHPURA URF RIKSHA TEH.- SANGANER, JAIPUR

NET PLOT AREA :- 5154.06 SQ.MT.

AREA UNDER 18.00 MT. WIDE SECTOR ROAD :- 1203.94 SQ. MT.

TOTAL LAND AREA :- 6358.00 SQ. MT.

PARAMETERS FOR AFFORDABLE HOUSING

GROUND COVERAGE :- UP TO 50%

F.A.R. :- 2.25

HEIGHT :- 36.00 MT. (MAX.)

SIDE AND REAR SETBACK :-SHALL BE MIN. OF 3 MT. FOR BUILDIG HEIGHT UP TO 15 MT. AND MIN. 6 MT. FOR BUILDING HEIGHT ABOVE 15 MT.

SCALE- 1 CM = 15 MT.

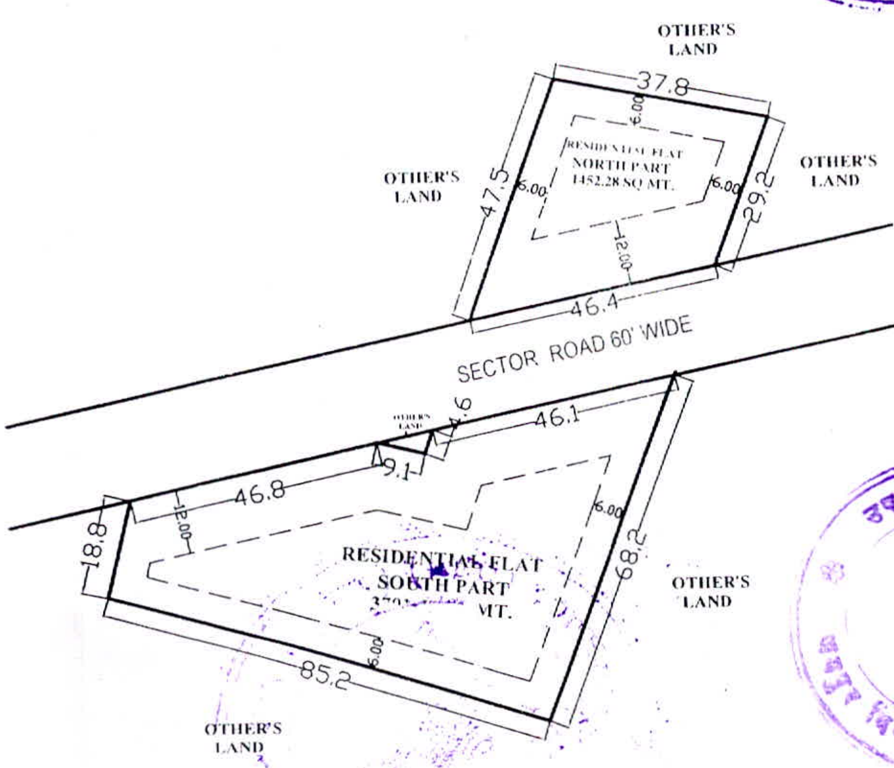

SITE ENGINEER
ZONE-9

ATP
ZONE-9

DY. COMMISSIONER
ZONE-9

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
JAIPUR

Registration Endorsement

आज दिनांक 24/08/2017 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 971 में
पृष्ठ संख्या 133 क्रम संख्या 201703019105405 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3883 के
पृष्ठ संख्या 186 से 200 पर चस्पा किया गया।

201701019007114

उप पंजीयक, JAIPUR-V
सब रजिस्ट्रार, जयपुर पंचम

Lease/Sale deed, allotment by local bodies, presented within 2 months (Male)

उप-पंजीयक, जयपुर (पंचम) (राज.) • SUB-REGISTRAR, JAIPUR-V • पंजीयन विभाग सत्यमेव जयते